

न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर), सिरौही  
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या 13/2014

प्रार्थी

1. श्री दरगाराम पुत्र श्री मगनाजी जाति ढोली निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।

बनाम

विपक्षीगण

1. सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट), पिण्डवाडा जिला सिरौही।
2. नेशनल हाईवे ऑथोरिटी जरिये प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इन्डिया पाली जिला पाली।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 सपठित  
आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट, 1996


उपस्थिति :-

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

:: निर्णय ::

दिनांक : 30.12.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र धारा 3(जी) (5) नेशनल हाईवे एक्ट के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड मजिस्ट्रेट पिण्डवाडा द्वारा मौजा वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही के खसरा संख्या 867 में से नेशनल हाईवे हेतु अवाप्त की गई 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि के दिए गए मुआवजे से असहमत होकर यह प्रार्थना पत्र आरबीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशनरल एक्ट 1996 के तहत आरबीट्रेशन की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया।



प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई। प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की राजस्व भूमि खसरा संख्या 867 मौजा वीरवाडा पटवार हल्का वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही की भूमि में से 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) पिण्डवाडा द्वारा उसे बिलानाम सरकार मानते हुए अवाप्त की जाकर उसका एवार्ड जारी किया है, जो गलत है। यह है कि प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की अवाप्ति की जानकारी होते ही प्रार्थी अप्रार्थी संख्या एक के कार्यालय में उपस्थित हुआ, तब प्रार्थी को जानकारी हुई कि अभी तक प्रार्थी के पक्ष में आवंटन का नामान्तकरण दायर नहीं हुआ जिससे उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थी को नहीं दिया गया है। यह है कि मौजा वीरवाडा के खसरा संख्या 867 की सम्पूर्ण भूमि 03 बीघा 06 बिस्वा का आवंटन उपखण्ड अधिकारी आवूपर्वत द्वारा जरिए आदेश क्रमांक/राजस्व/81/2384-87 दिनांक 28.09.1981 को

24/11/22  
आरबीट्रेटर  
जिला कलेक्टर सिरौही

प्रार्थी के हक में किया गया था तथा मौके पर प्रार्थी को कब्जा सुपूर्द किया गया एवं उसका नियमानुसार नामान्तरकरण दायर करने हेतु पटवार हल्का वीरवाडा को कॉपी प्रेषित की गई थी। यह है कि प्रार्थी का कब्जा सुपूर्द करने के समय से ही सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा काशत था एवं प्रार्थी अनपढ व्यक्ति है, वह केवल अपना हस्ताक्षर करना जानता है एवं आवंटन आदेश प्राप्त होने से प्रार्थी सन्तुष्ट था कि पटवारी हल्का उसके नाम से नामान्तरकरण दायर कर देंगे। यह है कि प्रार्थी ने उक्त भूमि अपने जीवन की कमाई लगाकर काफी उपजाऊ बनाया है एवं उस पर खेती कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है। यह है कि प्रार्थी को जानकारी होते ही अप्रार्थी संख्या एक के कार्यालय में दर्ज प्रकरण संख्या 102/2011 में अपनी तरफ से आपत्ति प्रस्तुत की एवं आवंटन आदेश की प्रति प्रस्तुत की तथा अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा प्रार्थी को देने का निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने यह आदेश पारित किया कि वर्तमान में उक्त भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थी के हक में दर्ज नहीं होने से एतराज खारिज कर उक्त भूमि का एवार्ड बिलानाम सरकार मानते हुए करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व आपत्ति को कन्सीडर नहीं किया गया है। यह है कि प्रार्थी की अवाप्त शुदा भूमि गांव वीरवाडा के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के लगती स्थित है एवं उक्त भूमि के पास में आबादी व मन्दिर है। इस प्रकार उक्त भूमि बेशकीमती है तथा भविष्य में उक्त सम्पूर्ण भूमि वाणिज्यिक व आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में आनी थी। उक्त बहस को अवाप्ति अधिकारी ने कन्सीडर नहीं किया गया है। इस प्रकार इसके पास स्थित कृषि भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य करीब 40 लाख रुपए बीघा है तथा आवासीय भूमि का 150/- रुपए वर्गफीट की दर से डी.एल.सी. मूल्य है साथ ही पेड पौधों इत्यादि के मुआवजा का अभी निर्धारण नहीं किया है। यह है कि उक्त एवार्ड की दर सन 2009 की डी.एल.सी. दर से देने में भारी भूल की है एवं कृषि भूमि का मुआवजा निर्धारण करते समय प्रति हेक्टेयर की भूमि के जो रकम तय की है, जो गलत है। यह है कि सक्षम प्राधिकारी ने प्रार्थी की अवाप्त भूमि का बाजार मूल्य को तय नहीं किया है एवं उसके अडौस-पडौस में जो रजिस्ट्री हो रही है और मौके पर भूमि की उपयोगिता को नजरअंदाज किया गया है, जबकि मुआवजा भूमि की उपयोगिता के आधार पर दिया जाना चाहिए था। यह है कि धारा 3जी के तहत बाजार मूल्य का विस्तृत अर्थ अधीनस्थ अधिकारी ने नहीं समझा है, जबकि बाजार मूल्य के आधार पर विलिंग सेलर एवं विलिंग पर्चेजर के मध्य होने वाली राशि एक महत्वपूर्ण अंग है, इसके अतिरिक्त लोकेलिटी, प्रोसेबिलिटी, आस-पास की व्यावसायिक सुविधा को भी मध्यनजर रखना चाहिए था, परन्तु प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लाई जा सकती थी। यह है कि खसरा संख्या 867 का पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण नहीं किया गया था, उक्त त्रुटि सरकारी कार्यालय द्वारा हुई है एवं आवाप्ति के पश्चात खसरा संख्या 1989/867 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम से नामान्तरकरण संख्या 1426 के जरिए भरे जाने की जानकारी प्रार्थी को होने पर वह नामान्तरकरण अपने नाम से दर्ज करवाने गया तो उसे यह अवगत करवाया गया कि 02 बीघा 10 बिस्वा का मुआवजा नियमानुसार मिल जाएगा एवं शेष रकबा 15 बिस्वा का खसरा संख्या 1990/867 का नामान्तरकरण संख्या 1610 प्रार्थी के हक में दिनांक 12.03.2013 को स्वीकृत किया गया, जिससे यह पूर्णतया साबित है कि प्रार्थी खसरा संख्या 867 का खातेदार कृषक है। इसके उपरान्त भी उसे मुआवजा राशि अदा नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनन व वाक्यातन गलती की है। अतः



12/03/13  
आर.बी. द्विवेदी  
जहानपुर जहानपुर जहानपुर

श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा 30 प्रतिशत सोलेटियम राशि को जोड़ते हुए 1,30,20,000/- रूपए मय बाजार दर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित बनता है, जिसे प्रार्थी का दिलवाया जाए।

अप्रार्थी संख्या एक की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए में उद्घोषणा जारी कर अवाप्त होने वाली भूमि का पूर्ण विवरण दर्ज रहा है एवं उक्त अधिनियम की धारा 3 सी के तहत आपत्तियों आमंत्रित की गई थी और समस्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए पूर्ण अवसर प्रदान कर उक्त अधिनियम की धारा 3 डी के तहत अवाप्त अधिसूचना जारी की गई। उक्त समस्त कार्यवाहियों के अनुक्रम में प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने का पूर्ण समुचित विधिक अवसर प्रदान किया गया। ऐसी दशा में समुचित अवसर देकर पारित आदेश पूर्णतया विधि संगत है। यह है कि अवाप्तशुदा भूमि पर प्रार्थी का तत्समय स्वत्व स्वामित्व निहित नहीं रहा है, स्वामित्व सम्बन्धी वैध प्रलेखों के अभाव में तथा अभिलेख अस्तित्व में नहीं होने के कारण अवाप्तशुदा भूमि का प्रार्थी मुआवजा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं रहा है। यह है कि मौजा वीरवाडा के खसरा संख्या 867 अवाप्ति में शामिल होने से हितबद्ध व्यक्तियों के दावे आमंत्रित करने की सूचना जारी की गई, जिस पर प्रार्थी द्वारा अपना दावा प्रस्तुत किया गया, जिसकी विधिवत् सुनवाई की जाकर राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं होने एवं भूमि बिलानाम दर्ज होने से किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होने से विधि अनुसार मुआवजा/अवार्ड नहीं दिया जा सकता था। यह है कि उक्त भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही के अन्तर्गत अधिसूचना धारा 3ए, 3बी एवं 3सी की जानकारी प्रार्थी को शुरुआत से थी एवं इस बाबत उसको सूचित भी कर दिया था, परन्तु राजस्व रेकॉर्ड में उस बाबत कोई कार्यवाही नहीं करना प्रार्थी की स्वयं की गलती थी, जबकि मुआवजा निर्धारण के समय प्रार्थी के दस्तावेजों का पूर्ण अवलोकन किया गया एवं उक्त अवाप्तशुदा भूमि बाबत स्वत्व स्वामित्व के दस्तावेज रेकॉर्ड पर होने पर ही भूमि का मुआवजा निर्धारण किया जाता है, साथ ही धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक के बाद यदि किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो उस बाबत अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावे।



अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि मौजा वीरवाडा के खसरा संख्या- 867 का सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), पिण्डवाडा द्वारा मुआवजा राशि का अवार्ड जारी करने में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह है कि उक्त भूमि की उद्घोषणा धारा 3ए के तहत जारी की गई थी, उस समय प्रार्थी को भूमि की स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया था कि नामान्तरकरण की कार्यवाही जल्द ही करवा कर अप्रार्थीगण को सूचित कर दे, परन्तु उसके उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा नामान्तरकरण की कोई कार्यवाही नहीं की, जो प्रार्थी स्वयं की गलती थी, जिस बाबत उसको मुआवजा राशि कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से मुआवजा राशि नहीं दिलाई गई। यह है कि प्रार्थी की जमीन बाबत जो अधिसूचना धारा 3ए के तहत जिस दिनांक को जारी की गई, उस दिनांक को प्रार्थी के उक्त भूमि पर स्वत्व, स्वामित्व बाबत दस्तावेज

Bulla  
आवेदन  
विद्युत चलेपत्र विरोधी

का पूर्ण रूप से अवलोकन कर एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण कर एवं उसको पूर्ण सुनवाई का मौका देकर मुआवजा निर्धारण किया गया है। यह है कि धारा 3ए के तहत जारी अधिसूचना की दिनांक के बाद यदि किसी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो उस बाबत प्रार्थी अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए में उद्घोषणा जारी कर अवाप्त होने वाली भूमि का पूर्ण विवरण दर्ज रहा है एवं उक्त अधिनियम की धारा 3 सी के तहत आपत्तियों आमंत्रित की गई थी और समस्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए पूर्ण अवसर प्रदान कर उक्त अधिनियम की धारा 3 डी के तहत अवाप्त अधिसूचना जारी की गई। उक्त समस्त कार्यवाहियों के अनुक्रम में प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने का पूर्ण समुचित विधिक अवसर प्रदान किया गया। ऐसी दशा में समुचित अवसर देकर पारित आदेश पूर्णतया विधि संगत है। यह है कि अवाप्तशुदा भूमि पर प्रार्थी का तत्समय स्वत्व स्वामित्व निहित नहीं रहा है, स्वामित्व सम्बन्धी वैध प्रलेखों के अभाव में तथा अभिलेख अस्तित्व में नहीं होने के कारण अवाप्तशुदा भूमि का प्रार्थी मुआवजा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं रहा है। यह है कि मौजा वीरवाडा के खसरा संख्या 867 अवाप्ति में शामिल होने से हितबद्ध व्यक्तियों के दावे आमंत्रित करने की सूचना जारी की गई, जिस पर प्रार्थी द्वारा अपना दावा प्रस्तुत किया गया, जिसकी विधिवत् सुनवाई की जाकर राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं होने एवं भूमि बिलानाम दर्ज होने से किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होने से विधि अनुसार मुआवजा/अवार्ड नहीं दिया जा सकता था। यह है कि उक्त भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही के अन्तर्गत अधिसूचना धारा 3ए, 3बी एवं 3सी की जानकारी प्रार्थी को शुरुआत से थी एवं इस बाबत उसको सूचित भी कर दिया था, परन्तु राजस्व रेकॉर्ड में उस बाबत कोई कार्यवाही नहीं करना प्रार्थी की स्वयं की गलती थी, जबकि मुआवजा निर्धारण के समय प्रार्थी के दस्तावेजों का पूर्ण अवलोकन किया गया एवं उक्त अवाप्तशुदा भूमि बाबत स्वत्व स्वामित्व के दस्तावेज रेकॉर्ड पर होने पर ही भूमि का मुआवजा निर्धारण किया जाता है, साथ ही धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक के बाद यदि किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो उस बाबत अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट पिण्डवाडा की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि मौजा वीरवाडा पटवार हल्का वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा संख्या 867 की भूमि में से 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) पिण्डवाडा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त की गई थी एवं प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि राजस्व अभिलेख में किस्म बिलानाम सरकार दर्ज होकर भूमि धारक राज्य सरकार थी। चूंकि मौजा वीरवाडा के खसरा संख्या 867 की सम्पूर्ण भूमि 03 बीघा 06 बिस्वा भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा जरिए आदेश क्रमांक/राजस्व/81/2384-87 दिनांक 28.09.1981 को प्रार्थी के हक में किया था, परन्तु प्रार्थी का खातेदारी बाबत नामान्तरण संख्या 1610 दिनांक 12.03.2013 को स्वीकृत किया गया था। यानिकी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की उद्घोषणा जारी की गई थी उस दिन अवाप्त होने वाली भूमि का पूर्ण विवरण दर्ज रहा



P-110  
आर.बी. इंटर  
जिला कलेक्टर सिरोही

है, जो बिलानाम सरकार थी एवं उस दिनांक को भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार का रहा है, जो बाद प्रार्थी के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है। प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 867 का आवंटन होने से लेकर अवाप्त होने तक नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करने की किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही की हो, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की उद्घोषणा जारी होने पर सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट पिण्डवाडा के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की, जो 102/2011 पर दर्ज रजिस्टर की गई, जिस पर विधिवत् सुनवाई की जाकर प्रार्थी द्वारा नामान्तरकरण की प्रति प्रस्तुत नहीं करने एवं राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं होने एवं भूमि बिलानाम दर्ज होने से प्रार्थी को किसी भी प्रकार का मुआवजा देय नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की उद्घोषणा जारी होने पर प्रार्थी को यह भलीभांति ज्ञान हो गया था कि उक्त भूमि का नामान्तरकरण उसके नाम से दर्ज नहीं हुआ है, परन्तु इसके पश्चात भी प्रार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में नामान्तरकरण दर्ज नहीं करवाकर दिनांक 12.03.2013 को नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया गया। चूंकि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करवाने बाबत किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही किए जाने का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अपने स्वयं की ओर से नामान्तरकरण दर्ज करवाने की किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, जिसके लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है। अतः स्वत्व, स्वामित्व के दस्तावेज के अभाव में प्रार्थी को उक्त भूमि का मुआवजा देय नहीं किया गया। प्रार्थी की उक्त भूमि बाबत जो अधिसूचना राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के तहत जिस दिनांक को जारी की गई थी उस दिनांक को प्रार्थी का उक्त भूमि पर स्वत्व, स्वामित्व बाबत दस्तावेज का पूर्ण अवलोकन कर एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण कर एवं सुनवाई का अवसर देकर उक्त मुआवजे का निर्धारण किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने की दिनांक के बाद यदि किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, स्वामित्व में परिवर्तन होता है तो उस बाबत अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। अभिलेख एवं अधिसूचना अनुसार भूमि की किस्म बिलानाम सरकार है। ऐसी स्थिति में यदि बाद में प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकृत करवाया है तो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अनुसार उसका मुआवजा देय नहीं है, जिसके आधार पर भी प्रार्थी अवाप्त भूमि का मुआवजा प्राप्त करने की अधिकारिता नहीं रखता है। मूल्यांकन प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा अपनी वेल्युवेशन रिपोर्ट विधिक आधार पर ही तैयार की गई है, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई संदिग्धता नहीं की जा सकती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेखों की रोशनी में स्वीकार योग्य नहीं पाए जाने से निरस्त किया जाता है। मुआवजा राशि में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि किए जाने का आधार नहीं होने से प्रार्थी का क्लेम निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।



*B. Lal*  
(डॉ. भँवर लाल)  
जिला कलेक्टर, (आरबीट्रेटर)  
सिरौही (राज0)